राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

राजीव गांधी विद्या भवन, द्वितीय तल, शिक्षा संकुल
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17
फोन न. 0141–2715518, Email :- rajsmsa.girlsedu@rajasthan.gov.in

क्रमांकः रास्कूशिप / जय / बालिका शिक्षा / 2019–20 / 17457 दिनांकः 17.12.20

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समस्त जिले।

"किशोरी–शैक्षिक उत्सव" सत्र 2020–21 हेतु ऑनलाइन आयोजन के दिशा–निर्देश

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सत्र 2020–21 के लिये **समस्त पीईईओ क्षेत्र में किशोरी मेले का आयोजन ऑनलाइन मोड में किया जाना है।** जिस हेतु तिथियाँ एवं कार्य निम्नानुसार रहेंगे

कार्यक्रम की तिथि	सहभागिता	गतिविधि का स्तर (उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक हेतु पृथक श्रेणी)
21–22 दिसम्बर	समस्त स्तर	बच्चों तक सूचनाओं को भेजा जाना। इच्छुक छात्राओं (एकल) एवं छात्र–छात्रों (सामूहिक) को प्रोजेक्ट चिन्हित करना।
		कोविड–19 प्रोटोकॉल को ध्यान रखते हुए बच्चों द्वारा मॉडल / गतिविधि की तैयारी करना। (स्माईल–2 कार्यक्रम अन्तर्गत शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन जांच कार्य के दौरान छात्र–छात्राओं को सहायता / मार्गदर्शन दिया जा सकेगा)
23 दिसम्बर बच्चों द्वारा	विद्यार्थी	समस्त विद्यालयों में बच्चों द्वारा ऑनलाइन–स्टॉल हेतु मॉडल / गतिविधि की ऑनलाइन प्रस्तुति।
24 दिसम्बर पीईईओ द्वारा	पीईईओ	पीईईओ स्तर पर समस्त प्रस्तुतियों की समीक्षाकर प्रत्येक जोन में श्रेष्ठ प्रस्तुति को चिन्हित करना। प्रारम्भिक एवं माध्यमिक श्रेणी में तीनों जोन के अन्तर्गत भाग लेने वाले समस्त छात्र–छात्राओं को प्रोत्साहन–पत्र एवं प्रथम तीन स्टॉल / प्रस्तुति को प्रशस्ति–पत्र।
28–31 दिसम्बर	ब्लॉक	पीईईओ से प्राप्त समस्त प्रथम प्रस्तुतियों की समीक्षा एवं प्रत्येक तीनों जोन के अर्न्तगत श्रेष्ठ तीन प्रस्तुतियों का चयन एवं प्रथम प्रस्तुति को जिले हेतु भेजा जाना। प्रारम्भिक एवं माध्यमिक श्रेणी में तीनों जोन के अन्तर्गत प्रथम तीन प्रस्तुति को पुरस्कार।
4–8 जनवरी	जिला	सभी ब्लॉक से प्राप्त श्रेष्ठ प्रस्तुतियों की समीक्षा करते हुए तीनों जोन में प्रथम तीन प्रस्तुति का चयन एवं प्रथम प्रस्तुति को राज्य हेतु भेजा जाना। प्रारम्भिक एवं माध्यमिक श्रेणी में तीनों जोन के अन्तर्गत प्रथम तीन प्रस्तुति को पुरस्कार।
11–15 जनवरी	राज्य	सभी जिले से प्राप्त श्रेष्ठ प्रस्तुतियों की समीक्षा करते हुए प्रारम्भिक एवं माध्यमिक श्रेणी में तीनों जोन से प्रथम प्रविष्टि का चयन।
24 जनवरी	राज्य	प्रारम्भिक एवं माध्यमिक श्रेणी में चिन्हित प्रथम प्रस्तुति का राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में ऑनलाइन समारोह में प्रदर्शन।

www.rajteachers.com

सभी पीईईओ से अपेक्षा है कि वे विभिन्न नवाचारों का प्रयोग करते हुए मॉडल/गतिविधि/प्रस्तुति को तैयार करें। प्रत्येक विद्यालय सभी बच्चों को प्रोत्साहित करेगा जिसमें शिक्षक बच्चों को गाईडेन्स भी प्रदान करेंगे। विद्यालय बच्चों को आवश्यक सामग्री को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेगा।

सभी जोन में बच्चों द्वारा की जाने वाली प्रस्तुति को आभासी मेले में प्रदर्शित किये जाने वाली स्टॉल के रूप में दिखाया जाये। जिसमें शिक्षक एवं प्रस्तुत करने वाले छात्रा–छात्र कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार सम्मिलित होंगे। सभी प्रस्तुतियाँ ऑनलाइन मोड में की जानी हैं।

प्रारम्भिक एवं माध्यमिक श्रेणी में तीन जोन निम्नानुसार होंगे –

(1) उच्च प्राथमिक कक्षाओं हेतु ऑनलाईन किशोरी शैक्षिक–उत्सव

जोन–1	जोन–2	जोन–3
हिन्दी	गणित	सामाजिक विज्ञान एवं समसामयिक परिप्रेक्ष्य में
अंग्रेजी	विज्ञान	स्वास्थ्य एवं हाईजीन/बाल अधिकार एवं सुरक्षा

(2) माध्यमिक/उच्च माध्यमिक कक्षाओं हेतु ऑनलाईन जीवन की तैयारी समारोह

जोन–1	जोन–2	जोन–3
हिन्दी अंग्रेजी दस्तावेजों पर समझ	गणित विज्ञान स्कॉलरशिप एवं योजनाएं	सामाजिक विज्ञान एवं समसामयिक परिप्रेक्ष्य में करियर की तैयारी/बाल अधिकार एवं सुरक्षा

(नोट :– उक्त गतिविधि को तीनों जोन में विद्यार्थियों की इच्छानुसार भाग लिया जा सकेगा।)

उपरोक्त गतिविधि के आयोजन हेतु निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें –

- **किशोरी शैक्षिक उत्सव (किशोरी मेला) 2020–21 – अकादमिक मेला एवं जीवन की तैयारी, का आयोजन ऑनलाइन मोड में किया जाना है।** इस हेतु प्रत्येक जिला समस्त विद्यालयों को पीईईओ के नेतृत्व में अपने विद्यालय क्षेत्र में बच्चों को स्टॉल तैयार करने हेतु प्रेरित करे। सभी बच्चों की प्रस्तुति को पोस्टर, मॉडल, विडियो, फोटोग्राफ्स, गेम्स, पहेली जैसे अनेक माध्यमों से की जा सकेगी।
- बच्चों को मॉडल/ऑनलाइन गतिवधि–स्टॉल निर्माण में आवश्यक सामग्री हेतु प्रत्येक पीईईओ क्षेत्र के समस्त विद्यालयों हेतु रुपये 5000/– एकमुश्त प्रति पीईईओ क्षेत्र देय होगा।
- सभी बच्चे इसमें प्रतिभाग कर सकेंगे। एकल प्रविष्टि छात्राओं हेतु होगी। सामूहिक प्रस्तुति में छात्र एवं छात्राएँ दोनों भाग ले सकेंगे।
- प्रारम्भिक एवं माध्यमिक श्रेणी में तीनों जोन में श्रेष्ठ ऑनलाइन–प्रस्तुतियों हेतु प्रत्येक स्तर पर – पीईईओ, ब्लॉक एवं जिला स्तर, निर्णायक समिति का गठन किया जाये। स्टॉल के थीम, अवधारणा की स्पष्टता, उपयोग, प्रजेन्टेशन, इत्यादि हेतु 65 प्रतिशत अंक, बच्चे/समूह की प्रस्तुति पर 10 प्रतिशत अंक, प्रस्तुति में नवाचारी तरीकों के प्रयोग पर 20 प्रतिशत अंक एवं तकनीक के प्रयोग पर 5 प्रतिशत अंक रखे जायें।
- ऑनलाइन उत्सव के आयोजन हेतु सभी स्तर पर प्रचार–प्रसार किया जाये। जिस हेतु व्हाट्सअप ग्रुप, बैनर, फ्लैक्स, स्थानीय समाचार पत्र आदि का प्रयोग किया जाये।
- जिले पूरी प्रक्रिया का अधिकतम 5 मिनिट का विडियो डॉक्यूमेन्टेशन कर परिषद कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- बच्चों की ऑनलाइन प्रस्तुतियों का विद्यालय स्तर का विडियो भी बनाया जाये। जिला जिले की श्रेष्ठ प्रस्तुतियों का अच्छी गुणवत्ता वाला विडियो पुनः बनाने हेतु निर्णय ले सकेगा किन्तु इसमें मूल प्रस्तुति से छेड़छाड़ नहीं की जाये।
- प्रत्येक स्तर पर किये गये कार्य की रिपोर्ट परिषद कार्यालय को कार्य समाप्ति पर सूचित की जाये।

www.rajteachers.com

- उक्त कार्यक्रम को प्रभावी बनाये जाने हेतु रास्कूशिप जयपुर की बालिका शिक्षा हेतु सहयोगी संस्थाओं & Room To Read, Save the Children, ICRW, Jatan, Educate Girls, CEE, Both आदि, से सहयोग लिया जा सकता है। जो कि सीधे अथवा ऑनलाइन सहयोग दे सकेंगी।

(नोट :– गत सत्रों में केजीबीवी में किशोरी मेले आयोजित किये जाते रहे है उसी तर्ज पर पीईईओ/ब्लॉक/जिला स्तर पर किशोरी मेले की ऑनलाईन स्टॉल लगाई जाये।)

विशेष – उक्त ऑनलाईन प्रस्तुतियों के अतिरिक्त राष्ट्रीय बालिका दिवस हेतु कोरोना समय के दौरान बालिकाओं द्वारा (मीना राजू मंच, गार्गी मंच) किये गये अनुकरणीय कार्यों हेतु प्रत्येक जिले से कुल 5 केस स्टडीज 31 दिसम्बर तक राज्य कार्यालय को भेजी जना सुनिश्चित करें।

वित्तीय प्रावधान

<table>
<tr><th></th><th>विवरण</th><th>राशि रुपये में</th><th>कुल राशि</th></tr>
<tr><td>1</td><td>छात्रों द्वारा मॉडल निर्माण के सामग्री क्रय हेतु एवं सहभागिता प्रमाण–पत्र सभी संभागियों हेतु पीईईओ द्वारा
संभागी प्रतिविद्यालय 500/– या संभागी विद्यालयों की संख्या के अनुसार अधिकतम पीईईओ द्वारा 5000/– में से देय होगा।</td><td>5000/– प्रति पीईईओ</td><td>4,94,70,000 (5000 X 9894)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>पुरस्कार ब्लॉक स्तर (तीनों जोन हेतु पृथक)<table><tr><th>श्रेणी 6–8</th><th>श्रेणी 9–12</th></tr><tr><td>प्रथम पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र</td><td>प्रथम पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र</td></tr><tr><td>द्वितीय पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र</td><td>द्वितीय पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र</td></tr><tr><td>तृतीय पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र</td><td>तृतीय पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र</td></tr></table></td><td><table><tr><th>श्रेणी 6–8</th><th>श्रेणी 9–12</th></tr><tr><td>500</td><td>500</td></tr><tr><td>300</td><td>300</td></tr><tr><td>200</td><td>200</td></tr></table></td><td>18,06,000 (2000 X 3 X 301)</td></tr>
<tr><td>3</td><td>पुरस्कार जिला स्तर (तीनों जोन हेतु पृथक)<table><tr><th>श्रेणी 6–8</th><th>श्रेणी 9–12</th></tr><tr><td>प्रथम पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र</td><td>प्रथम पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र</td></tr><tr><td>द्वितीय पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र</td><td>द्वितीय पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र</td></tr><tr><td>तृतीय पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र</td><td>तृतीय पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र</td></tr></table></td><td><table><tr><th>श्रेणी 6–8</th><th>श्रेणी 9–12</th></tr><tr><td>500</td><td>500</td></tr><tr><td>300</td><td>300</td></tr><tr><td>200</td><td>200</td></tr></table></td><td>1,98,000 (2000 X 3 X 33)</td></tr>
<tr><td>4</td><td>प्रचार–प्रसार, बैनर – ब्लॉक स्तर तक</td><td>1500 प्रति जिला</td><td>49,500</td></tr>
<tr><td>5</td><td>कन्टिनजेन्सी, विडियो, फोटो, अभिलेख संधारण आदि</td><td>800 प्रति जिला</td><td>26,400</td></tr>
<tr><td>6</td><td>केस स्टडी, बेस्ट प्रैक्टिस प्रतिजिला 5 केस स्टडीज</td><td>1500 प्रति जिला</td><td>49,500</td></tr>
<tr><td></td><td>कुल योग</td><td></td><td>5,15,99,400</td></tr>
</table>

नोट– बिन्दु संख्या 4, 5 एवं 6 में आवश्यकतानुसार समिति में प्रस्ताव पारित करते हुए सूक्ष्म परिवर्तन किया जा सकता है। अतिरिक्त राशि हेतु स्थानीय भामाशाहों का सहयोग लिया जा सकता है।

www.rajteachers.com

ऑनलाइन किशोरी मेले हेतु स्वीकृत राशि निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है –

- जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है व्यय उसी मद में किया जाए।
- व्यय को प्रबंध पोर्टल पर गतिविधि समाप्ति के माह में ही अपलोड़ की जाये और इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- राशि का उपयोग योजना के दिशा–निर्देश, वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुए नियमानुसार किये जायें।

उपरोक्त गतिविधि हेतु कोविड–19 एडवाईजरी की पालना सुनिश्चित की जाये।

(डॉ0 भंवर लाल)
राज्य परियोजना निदेशक

प्रतिलिपि :आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सहायक, आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, द्वितीय राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. संबंधित सहयोगी संस्थाएं, बालिका शिक्षा प्रकोष्ठ।
5. विषय विशेषज्ञ, यूनिसेफ सलाहकार।
6. रक्षित पत्रावली।

(डॉ. रश्मि शर्मा)
अति. राज्य परियोजना निदेशक–2

www.rajteachers.com

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्
राजीव गांधी भवन, द्वितीय तल, शिक्षा संकुल
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17
फोन नं. 0141–2715550, 2715517 फैक्स नं. 0141–2701822

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

क्रमांक : रास्कूशिप / जय / बा.शि. / बालिका सशक्तिकरण / LSE / 2019–20 / 17458 दिनांक : 17.12.20

प्रशासनिक स्वीकृति

भारत सरकार द्वारा वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट सत्र 2020–21 में अनुमोदित गतिविधि जीवन कौशल विकास में प्रारंभिक शिक्षा हेतु 879.9084 लाख एवं माध्यमिक शिक्षा हेतु 667.8450 लाख इस प्रकार कुल 1547.753 लाख अनुमोदित किये गये है। उक्त अनुमोदित राशि में से किशोरी शैक्षिक उत्सव आयोजन के लिये प्रारंभिक शिक्षा मद में 257.997 लाख रूपये निम्नानुसार जिलों को हस्तानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

S.No.	District	Fund to be issued for ele edu
1	AJMER	736900
2	ALWAR	1326900
3	BANSWARA	902900
4	BARAN	578400
5	BARMER	1278400
6	BHARATPUR	969900
7	BHILWARA	1000900
8	BIKANER	750900
9	BUNDI	477400
10	CHITTAURGARH	762900
11	CHURU	660900
12	DAUSA	607900
13	DHAULPUR	447400
14	DUNGARPUR	762400
15	GANGANAGAR	871900
16	HANUMANGARH	653400
17	JAIPUR	1391900
18	JAISALMER	363900
19	JALOR	713900
20	JHALAWAR	658900
21	JHUNJHUNU	781400
22	JODHPUR	1220900
23	KARAULI	590400
24	KOTA	410400
25	NAGAUR	1214400
26	PALI	837400
27	PRATAPGARH (RAJ.)	432400
28	RAJSAMAND	543400
29	SAWAI MADHOPUR	522900

www.rajteachers.com

30	SIKAR	889400
31	SIROHI	424900
32	TONK	597900
33	UDAIPUR	1415900
	TOTAL	**25799700**

(अक्षरे रूपये दो करोड़ सतावन लाख निन्यानवे हजार सात सौ रूपये मात्र)

उक्त स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है :–

- जिस मद के लिये राशि उपलब्ध कराई जा रही है, व्यय उसी मद में किया जाये।
- व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- राशि का उपयोग, योजना के दिशा–निर्देश, एमएचआरडी की गाईडलाईन एवं लोक उपापन में पादरर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुए विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।
- उक्त राशि का व्यय वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2020–21 की पीएबी में स्वीकृत अनुसार मद 170.8 में से किया जायेगा।

(डॉ0 भंवर लाल)
राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांक : रास्कूशिप / जय / बा.शि. / बालिका सशक्तिकरण / LSE / 2019–20 / दिनांक :

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
2. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
5. रक्षित प्रत्रावली।

(डॉ0 रश्मि शर्मा)
अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक–2

www.rajteachers.com

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

राजीव गांधी भवन, द्वितीय तल, शिक्षा संकुल
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17

फोन नं. 0141–2715550, 2715517 फैक्स नं. 0141–2701822

क्रमांक : रास्कूशिप / जय / बा.शि. / बालिका सशक्तिकरण / LSE / 2019–20 / 17459 दिनांक : 17.12.20

प्रशासनिक स्वीकृति

भारत सरकार द्वारा वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट सत्र 2020–21 में अनुमोदित गतिविधि जीवन कौशल विकास में प्रारंभिक शिक्षा हेतु 879.9084 लाख एवं माध्यमिक शिक्षा हेतु 667.8450 लाख इस प्रकार कुल 1547.753 लाख अनुमोदित किये गये है। उक्त अनुमोदित राशि में से किशोरी शैक्षिक उत्सव आयोजन के लिये माध्यमिक शिक्षा मद में 257.997 लाख रूपये निम्नानुसार जिलों को हस्तानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

S.No.	District	Fund to be issued for Sec edu
1	AJMER	736900
2	ALWAR	1326900
3	BANSWARA	902900
4	BARAN	578400
5	BARMER	1278400
6	BHARATPUR	969900
7	BHILWARA	1000900
8	BIKANER	750900
9	BUNDI	477400
10	CHITTAURGARH	762900
11	CHURU	660900
12	DAUSA	607900
13	DHAULPUR	447400
14	DUNGARPUR	762400
15	GANGANAGAR	871900
16	HANUMANGARH	653400
17	JAIPUR	1391900
18	JAISALMER	363900
19	JALOR	713900
20	JHALAWAR	658900
21	JHUNJHUNU	781400
22	JODHPUR	1220900
23	KARAULI	590400
24	KOTA	410400
25	NAGAUR	1214400
26	PALI	837400
27	PRATAPGARH (RAJ.)	432400
28	RAJSAMAND	543400

www.rajteachers.com

29	SAWAI MADHOPUR	522900
30	SIKAR	889400
31	SIROHI	424900
32	TONK	597900
33	UDAIPUR	1415900
	TOTAL	**25799700**

(अक्षरे रूपये दो करोड़ सतावन लाख निन्यानवे हजार सात सौ रूपये मात्र)

उक्त स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है :–

- जिस मद के लिये राशि उपलब्ध कराई जा रही है, व्यय उसी मद में किया जाये।
- व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- राशि का उपयोग, योजना के दिशा–निर्देश, एमएचआरडी की गाईडलाईन एवं लोक उपापन में पादरर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुए विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।
- उक्त राशि का व्यय वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2020–21 की पीएबी में स्वीकृत अनुसार मद 171.3 में से किया जायेगा।

(डॉ0 भंवर लाल)
राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांक : रास्कूशिप / जय / बा.शि. / बालिका सशक्तिकरण / LSE / 2019–20 /   दिनांक :

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
2. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
5. रक्षित प्रत्रावली।

(डॉ0 रश्मि शर्मा)
अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक–2

www.rajteachers.com